न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 23/2019 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2019/00011

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **कैथून** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

रमजानी उर्फ भूरिया पुत्र इश्हाक मोहम्मद जाति अंसारी मुसलमान निवासी रीछ वाले बाबा ढोल के पास कैथून थाना कैथनू

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय दिनांक : 8/01/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **कैथून** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **रमजानी उर्फ भूरिया पुत्र इश्हाक मोहम्मद जाति अंसारी मुसलमान निवासी रीछ वाले बाबा ढोल के पास कैथून थाना कैथून** थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	344/17	13 आरपीजीओ	326/30.9.2017	200 रूपये जुर्माना किया गया
2.	294/18	13 आरपीजीओ	265/ 30-9-18	100 रूपये जुर्माना किया गया
3.	311/18	13 आरपीजीओ	270/ 15-10-2018	100 रूपये जुर्माना किया गया
4.	315/18	13 आरपीजीओ	274/15-10-2018	100 रूपये जुर्माना किया

अतः **रमजानी उर्फ भूरिया पुत्र इश्हाक मोहम्मद जाति अंसारी मुसलमान निवासी रीछ वाले बाबा ढोल के पास कैथून थाना कैथून** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वंय उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से इकराम हुसैन अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरसायल या वकील गैरसायल की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नही किया। जिससे यह प्रतीत होता है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही के संबध में कोई सुनवाई नही चाहता है वक्त बहस भी गैरसायल व वकील गैरसायल अनुपस्थित रहे। अतः थानाधिकारी **कैथून** द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **कैथून** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 04 प्रकरण दर्ज हुए है सभी प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **रमजानी उर्फ भूरिया पुत्र इश्हाक मोहम्मद जाति अंसारी मुसलमान निवासी रीछ वाले बाबा ढोल के पास कैथून थाना कैथून** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **07** दिन के लिऐ **थाना कैथून** जिला कोटा की सीमा से **जिला बारा** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, कोतवाली बांरा जिला बारा** को प्रस्तुत करेगा। **थानाधिकारी, कोतवाली बारां जिला बारा** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **07** दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक 29 /01.2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **कैथून** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **रमजानी उर्फ भूरिया पुत्र इश्हाक मोहम्मद जाति अंसारी मुसलमान निवासी रीछ वाले बाबा ढोल के पास कैथून थाना कैथून** को दिनांक **29 /01/2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **कैथून** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना **कोतवाली बारां** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, कोतवाली बारां जिला बारा** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **कैथून** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **कैथून** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक ......8/01/26...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा